15/11/20

29 1/20 पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र के पृष्ठ संख्या 3 पर अंकित अनुसार निम्नलिखित अनुतोष चाहा गया है -

"अतः प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि श्रीमान उपायुक्त उपनिवेशन (पुनर्वास) बीकानेर आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 22.06.1973 को आदेश पारित कर अनूपगढ़ तहसील के चक नम्बर 13 एस. जे. एम. तहसील अनूपगढ़ के मुरब्बा

Scanned by CamScanner

तारीख
हुक्म

नम्बर 279/389 के किला नंबर 1 ता 25=25 बीघा कृषि भूमि का जो आवंटन केवल अप्रार्थी के नाम से किया गया है को पुनरावलोकन कर आदेश दिनांक 22.06.1973 प्रत्यावर्तन कर वक्त 25 बीघा कृषि भूमि का आवंटन (मृतक अमीचन्द के स्थान पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के नाम से किये जाने का आदेश पारित किया जावे।"

उपर्युक्त अनुतोष के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि के आवंटन की कार्रवाई के लगभग 46 वर्ष बाद आवंटन आदेश के पुनरीक्षण का अनुतोष चाहा गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86(2) के परन्तुक (iii) का अवलोकन समीचीन है-

"(iii) प्राइवेट व्यक्तियों के बीच अधिकार के किसी प्रश्न को प्रभावित करने वाला कोई भी ~~आवेदन~~ आदेश कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के आवेदन पत्र के बिना, पुनर्विलोकित नहीं किया जावेगा, और ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कोई भी आवेदन पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसा आवेदन पत्र उस आदेश के पारित होने के 90 दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो,"

हस्तगत प्रार्थना पत्र को इस प्रार्थना पत्र में चाहे गए अनुतोष एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 86 (2) के परन्तुक (iii) के दृष्टिगत निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार किया जाना न्यायालय की राय में उचित है -

(क) आवंटन आदेश न तो इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है एवं न ही इस न्यायालय के किसी पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया गया है।

(ख) धारा 86(2) का परन्तुक (iii) केवल किसी आदेश के पारित होने के 90 दिवस के भीतर

Scanned by CamScanner

उसके पुनरावलोकन की अनुमति देता है जबकि हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आदेश को पारित हुए 46 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है।

(ग) यदि यह स्वीकार भी कर लिया जावे कि वर्तमान में उपायुक्त उपनिवेशन (पुनर्वास) बीकानेर के क्षेत्राधिकार की शक्तियाँ उपखण्ड अधिकारी में निहित है (यद्यपि ऐसा कोई दस्तावेज वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत नहीं किया है) तो भी आदेश पारित होने के 46 वर्ष बाद अपने आदेश का पुनरावलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। प्रार्थी अनुतोष प्राप्त करने हेतु अपीलीय न्यायालय का द्वार खटखटाने के लिए स्वतन्त्र है।

अभिभाषक प्रार्थी न्यायालय हाजा को अपनी बहस द्वारा अथवा किसी न्यायिक दृष्टांत के प्रस्तुतिकरण द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने बाबत प्रभावित करने में असफल रहे हैं;

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 एतदद्वारा अस्वीकार किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.01.2020

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.01.30 11:40:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: